न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–35/2021

प्रार्थी:–

बालकिशन पत्र तेजाराम जी जाति माली निवासी घांची कॉलोनी,भगत की कोठी जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा महिलावास पटवार मण्डल महिलावास खसरा संख्या 138 व 139 रकबा 00.1943 व 07.5110 हैक्टयर की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी 1/24 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र तेजाराम दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, जन आधार कार्ड बैक खाता पास बुक इत्यादि में प्रार्थी का नाम बालकिशन पुत्र तेजाराम दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में बाबूलाल नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं बाबूलाल व बालकिशन नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजात के आधार पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम के स्थान पर बालकिशन पुत्र तेजाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड, राशनकार्ड,पेन कार्ड ,जन आधारकार्ड व बैक खाता पासबुक दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम बालकिशन पुत्र तेजाराम दर्ज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा महिलावास पटवार मण्डल महिलावास खसरा संख्या 138 व 139 रकबा 00.1943 व 07.5110 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "बाबूलाल पुत्र तेजाराम" के स्थान पर " बालकिशन पुत्र तेजाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक .30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested